भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4832
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों के साथ लंबित मुद्दे

†4832. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नौवीं अनुसूची के अंतर्गत सरकारी कंपनियों और निगमों का विभाजन (अधिनियम की धारा 53,68,71) शामिल है;

(ख) दसवीं अनुसूची के संस्थानों के संबंध में विवाद (अधिनियम की धारा 75) का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश भवन के विभाजन [अधिनियम की धारा 48(1)] के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं किए गए संस्थानों की परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए आंध्र प्रदेश के दावे के संबंध में स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच अनुसूची IX के अंतर्गत सरकारी कंपनियों और निगमों, अनुसूची X के संस्थानों और अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं किए गए संस्थानों की परिसंपत्तियों के विभाजन से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए तेलंगाना सरकार से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

अनुसूची IX के अंतर्गत कंपनियों/निगमों, अनुसूची X के प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में कहीं भी उल्लेखित नहीं किए गए संस्थानों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच असहमति है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4832, दिनांक 01.04.2025

केंद्र सरकार का लगातार यह दृष्टिकोण रहा है कि द्विपक्षीय मुद्दे केवल सम्बंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सुलझ सकते हैं और विवाद का सौहाद्रपूर्ण समाधान परस्पर सामंजस्य एवं समझ की भावना से करने के लिए केंद्र सरकार सुविधा-प्रदाता के रूप मे कार्य करती है। गृह मंत्रालय, समय समय पर आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों तथा संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, इस प्रकार की 36 समीक्षा बैठके हो चुकी है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आंध्र प्रदेश भवन, नई दिल्ली की संपत्तियों का बंटवारा सुलझ गया है।

****